रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 2001/श्रावण 26, 1923
No. 582] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 2001/SRAVANA 26, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2001

का.आ. 792 (अ).— भारतीय निर्यात व्यापार के विकास के लिए, ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से संबंधित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का0आ0 729 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 के आदेश का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात निरीक्षण परिषद को भेजे गए थे और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के आदेश सं0का0आ0 150 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 फरवरी, 2001 में प्रकाशित किए गए थे ;

उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से, जिसको प्रस्ताव से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 फरवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गयी थी ;

और उक्त प्रारुप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

2537 GI/2001

अतः अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से संबंधित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं0का0आ0 729 (अ) में, निम्नलिखित संशोधन करती है जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी, अर्थात :

उक्त आदेश की अनुसूची 1 में, खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"(ङ.) प्रति जैविकी, नाशक जीव मार और मछली में भारी धातुओं तथा मछली उत्पादों के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं (एम आर एल) के लिए विनिर्देश नीचे दी गयी अपेक्षाओं के अनुरुप होंगे।

नाशक जीवमार *

क्रम सं0	नाशक जीवमार	अवशिष्ट का अधिकतम अनुज्ञेय स्तर पी पी एम
1.	बैन्जीन हैक्सा क्लोराइड बीएचसी	0.3
2.	ऐल्ड्रिन	0.3
3.	डाइल्ड्रिन	0.3
4.	एन्ड्रिन	0.3
5.	डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरोइथेन (डी डी टी)	5.0

प्रतिजैविकी *

क्रम सं0	प्रतिजैविकी	अवशिष्ट का अधिकतम अनुज्ञेय स्तर पी पी एम
1.	क्लोरेन्फैनिकॉल	शून्य
2.	फेयेरेजोलिडॉन	शून्य
3.	नियोमाइसीन	शून्य
4.	टेट्रासाइक्लीन	0.1
5.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	0.1
6.	ट्रीमेथ्रेप्रीन	0.05
7.	ओक्सोलिनिक एसिड	0.3
8.	नालिडिक्सिन एसिड	शून्य
9.	सल्फोमेथोजासोल	शून्य

भारी धातुएं *

क्रम स0	भारी धातुएं	अवशिष्ट का अधिकतम अनुज्ञेय स्तर पी पी एम
1.	पारद (मरकरी)	1.0
2.	केडमियम	3.0
3.	आर्सेनिक	75
4.	सीसा	1.5
5.	टीन	250
6.	निकैल	80
7.	क्रोमियम	12

[फा. सं. 6/2/2001-ईआई एण्ड ईपी]
एम. वि. पि. सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- *भारतीय परिस्थितियों में अवशिष्ट की सीमा का निर्धारण निष्पाद स्तर पर आधारित होगा । जबकि यूरोपियन संघ, संयुंक्त राज्य अमेरिका और जापान के लिए अवशिष्टों का नियम स्तर पृथक-पृथक देशों द्वारा विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए लागू होंगे।"

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 17th August, 2001

S.O. 792(E).— Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for amending the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce, number S.O. 729(E) dated the 21st August, 1995 relating to fresh, frozen and processed fish and fishery products were forwarded to the Export Inspection Council and published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20th February, 2001 vide Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), number S.O. 150(E), as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date on which the copies of the Official Gazette containing the proposal were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th February 2001;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce, No. S.O., 729(E), dated the 21st August, 1995 relating to fresh, frozen and processed fish and fishery products, which shall take effect on the date of its publication in the Official Gazette, namely:-

In the said Order, in Schedule I, after clause (d), the following shall be inserted namely :

"(e) Specifications for maximum residual limits (MRLs) for antibiotics, pesticides and heavy metals in fish and fishery products shall meet the requirements as given below:

Pesticides*

Serial number	Pesticides	Maximum permissible residual level in ppm
1.	BHC	0.3
2.	Aldrin	0.3
3.	Dieldrin	0.3
4.	Endrin	0.3
5.	DDT	5.0

Antibiotics*

Serial number	Antibiotics	Maximum permissible residual level in ppm
1.	Chloramphenicol	Nil
2.	Furazolidone	Nil
3.	Neomycin	Nil
4.	Tetracycline	0.1
5.	Oxytetracycline	0.1
6.	Trimethoprim	0.05
7.	Oxolinic acid	0.3
8.	Nalidixic acid	Nil
9.	Sulphamethoxazole	Nil

Heavy Metals*

Serial number	Heavy metals	Maximum permissible residual level in ppm
1.	Mercury	1.0
2.	Cadmium	3.0
3.	Arsenic	75
4.	Lead	1.5
5.	Tin	250
6.	Nickel	80
7.	Chromium	12

[F. No. 6/2/2001-EI&EP]

M. V. P. C. SASTRY, Jt. Secy.

Note: * the residual limits are fixed based on the achievable levels in Indian conditions. However, for export to the European Union, USA and Japan, the residual levels fixed by individual countries for specified products are to be complied with".

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.